न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2015 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. स्व0 चूनाराम के कायम मुकाम नाथूराम पुत्र स्व0 श्री चूनाराम उम्र 60 साल जाति मेघवाल निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।	बनाम	1.स्व0 धूडाराम के कायम मुकाम 1/1श्री परमाराम उम्र 65 साल 1/2श्री रेउराम उम्र 60 साल 1/3श्री मोडाराम उम्र 55 साल सर्वे जातियान मेघवाल सर्वे निवासियान गांव रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण के मुकदमा संख्या 174 / 1980 बअनवान धूड़ाराम बनाम चूनाराम में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.1980 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री टीकूराम गर्ग अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटगण के पिता स्व0 धूडाराम द्वारा दिनांक 09.07.1980 को अपीलांट के पिता स्व0 चूनाराम व तहसीलदार पोकरण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88—53 आर टी एक्ट के तहत एक हस्तखिलित दावा 2 पृष्ठों में पेश किया। जो खसरा संख्या 27, 29, 33, 77 कुल रकबा 481.15 बीघा वाके गांव दूधिया (रामदेवरा) में उक्त जमीन आई है। जिनका बंटवाड़ा दोनो पक्षों के बीच बराबर—बराबर किया जावे। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र दो पेशीयों में बिना कोई जबाव, बिना कोई सुनवाई, न ही कोई खसरान की कृषि भूमि का सही—सही बंटावाड़ा / विभाजन किया गया। केवल मात्र 2 पृष्ठ के फैसले में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। मृतक धूडाराम द्वारा बमिलावट करते हुए उक्त कृषि भूमि का गलत तरीके से आधे से अधिक अपने पक्ष में करवा दी गई। जबकि अपीलांट के मृतक चूनाराम व उसके पुत्र अपीलांट नाथूराम को इस बात की कभी भी जानकारी न तो हुई। अपीलाधीन आराजी संपूर्ण कृषि भूमि पर कृषि काश्त काबिज आज भी अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। पत्रावली में न तो कोई तनकीयात तय की गई, न ही कोई गवाहान पेश किये गये। केवल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मात्र प्रतिवादी संख्या 01 का ईकबाली जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी चूनाराम को नोटिस तामिल होने बाबत कोई सबूत या साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध काबिल खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र दो पेशीयों में बिना कोई जबाव, बिना कोई सुनवाई, न ही कोई खसरान की कृषि भूमि का सही–सही बंटावाड़ा/विभाजन किया गया। केवल मात्र 2 पृष्ठ के फैसले में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। मृतक धूडाराम द्वारा बमिलावट करते हुए उक्त कृषि भूमि का गलत तरीके से आधे से अधिक अपने पक्ष में करवा दी गई। जबकि अपीलांट के मृतक चूनाराम व उसके पुत्र अपीलांट नाथूराम को इस बात की कभी भी जानकारी न तो हुई। अपीलाधीन आराजी संपूर्ण कृषि भूमि पर कृषि काश्त काबिज आज भी अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। पत्रावली में न तो कोई तनकीयात तय की गई, न ही कोई गवाहान पेश किये गये। केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 का ईकबाली जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी चूनाराम को नोटिस तामिल होने बाबत कोई सबूत या साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी कुछ समय पूर्व जब रेस्पोडेंटगण मौके पर आकर अपीलार्थी के कब्जा व काश्त तथा अपने हिस्सा जो कि आज दिनांक तक प्रार्थी एवं उसके पिता को 35 सालों से मालूम ही नहीं चलने दिया पर जबरन कब्जा करने लगे व ऐलानियां धमकियां देने लगे कि उक्त हिस्सा जो कि हमारा है हमने कोर्ट से निर्णय करवा लिया है। जब अपीलार्थी द्वारा राजस्व अधिकारियों व कानूनी सलाह से संपर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकलें दिनांक 25.08.2015 को प्राप्त की, तब प्रथम जानकारी हुई। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मात्र प्रतिवादी संख्या 01 का ईकबाली जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी चूनाराम को नोटिस तामिल होने बाबत कोई सबूत या साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध काबिल खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र दो पेशीयों में बिना कोई जबाव, बिना कोई सुनवाई, न ही कोई खसरान की कृषि भूमि का सही–सही बंटावाड़ा/विभाजन किया गया। केवल मात्र 2 पृष्ठ के फैसले में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। मृतक धूडाराम द्वारा बमिलावट करते हुए उक्त कृषि भूमि का गलत तरीके से आधे से अधिक अपने पक्ष में करवा दी गई। जबकि अपीलांट के मृतक चूनाराम व उसके पुत्र अपीलांट नाथूराम को इस बात की कभी भी जानकारी न तो हुई। अपीलाधीन आराजी संपूर्ण कृषि भूमि पर कृषि काश्त काबिज आज भी अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। पत्रावली में न तो कोई तनकीयात तय की गई, न ही कोई गवाहान पेश किये गये। केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 का ईकबाली जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी चूनाराम को नोटिस तामिल होने बाबत कोई सबूत या साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी कुछ समय पूर्व जब रेस्पोडेंटगण मौके पर आकर अपीलार्थी के कब्जा व काश्त तथा अपने हिस्सा जो कि आज दिनांक तक प्रार्थी एवं उसके पिता को 35 सालों से मालूम ही नहीं चलने दिया पर जबरन कब्जा करने लगे व ऐलानियां धमकियां देने लगे कि उक्त हिस्सा जो कि हमारा है हमने कोर्ट से निर्णय करवा लिया है। जब अपीलार्थी द्वारा राजस्व अधिकारियों व कानूनी सलाह से संपर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकलें दिनांक 25.08.2015 को प्राप्त की, तब प्रथम जानकारी हुई। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में दोनों भाईयों ने आपसी सहमति एवं ईकबालिया जबाव के जरिये वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाया। बंटवारे में दोनों भाईयों ने भूमि बराबर–बराबर नहीं ली इसलिए अब उसमें विवाद पैदा हो गया और हस्तगत अपील प्रस्तुत हुई है। अपीलांटपक्ष का पुख्ता एतराज है कि ईकबालिया जबावदावा मृतक चूनाराम को गुमराह करके दिलवाया तथा बिना वकालतनामा और साक्ष्य सबूत के प्रस्तुति दावा डिक्री करवा लिया गया जिसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। अपीलांट की आपत्ति के मद्देनजर विवादित आराजी कानूनन उभयपक्ष में आधी–आधी विभाजित हो इसके लिए उनका पक्ष सुना जाना न्यायोचित है इसलिए मामला प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के मुकदमा संख्या 174/1980 बअनवान धूड़ाराम बनाम चूनाराम में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.1980 को अपास्त किया जाता है एवं मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका देकर वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिवत हक–हिस्सा निर्धारण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

16/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner